कार्यकारी सार

प्रतिवेदन में 55 पैराग्राफों को अन्तर्विष्ट करते हुए ₹ 250.71 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है। हमने इनके अतिरिक्त ₹ 77.06 करोड़ के राशि मूल्य वाले 95 पैराग्राफ जारी किए थे जिनपर विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओं ज्ञापनों को जारी करके,कारण बताओं ज्ञापनों पर निर्णय लेकर तथा ₹ 29.12 करोड़ की वसूली करके सुधारात्मक कार्रवाई की। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का वर्णन आगामी पैराग्राफों में किया गया हैं :-

अध्याय I: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां

- **पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (इस वर्ष के प्रतिवेदन सहित) हमने ₹ 3,807.85 करोड़ के 664 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे। इनमें सरकार ने ₹ 2,687.21 करोड़ के 481 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को मान लिया तथा 187.48 करोड़ की वसूली की।**

{पैराग्राफ 1.10.1}

अध्याय II: उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन

- **मूल्य में अतिरिक्त वृद्धि को न जोड़ने, उत्पाद शुल्क योग्य माल की लागत के गलत निर्धारण, खुदरा ब्रिकी मूल्य के आधार पर मूल्यांकन, उत्पादशुल्क योग्य माल के अधूरे मूल्यांकन, भाड़े तथा अन्य प्रभारों को न जोड़ने आदि के कारण कम मूल्यांकन के मामले देखे गए थे। इन मामलों में ₹ 101.86 करोड़ के शुल्क का उदग्रहण कम हुआ।**

{पैराग्राफ 2.1 से 2.6}

अध्याय III: सैनवेट क्रेडिट

- **शुल्क योग्य/छूट प्राप्त माल के लिए प्रयुक्त एक से इनपुट्स हेतु अलग खाता न रखे जाने, अयोग्य पूंजीगत माल पर सैनवेट क्रेडिट को लेने, अस्वीकार्य इनपुट सेवाओं पर सैनवेट क्रेडिट लेने, जिन सेवाओं पर कर नही लगा उनके लिए प्रदत्त सेवा कर हेतु सैनवेट क्रेडिट लेने, अवैध दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट लेने, जॉब वर्करों से वापिस प्राप्त न हुए माल पर क्रेडिट लेने, अपने आप सैनवेट क्रेडिट लेने इत्यादि के मामले देखे गए थे। इन मामलों में ₹ 91.45 करोड़ का शुल्क शामिल था।**

{पैराग्राफ 3.1 से 3.10}

अध्याय IV: छूटें

- **गलत छूट देने के कारण ₹ 3.23 करोड़ के शुल्क का उदग्रहण नहीं हुआ।**

{पैराग्राफ 4.1 से 4.3}

अध्याय V: ब्याज की उगाही न करना

- **शुल्क के देर से भुगतान के कुछ मामलों में ₹ 3.08 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।**

{पैराग्राफ 5.1 से 5.3}

अध्याय VI: शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

- **ऐलुमिनियम ड्रास पर उदग्रहण न करने, देय तिथियों पर शुल्क के भुगतान में विलम्ब तथा पुनर्निमाण हेतु निकाले गए माल पर कर के भुगतान न किए जाने के कारण ₹ 1.04 करोड़ के शुल्क का उदग्रहण न हुआ।**

{पैराग्राफ 6.1 से 6.3}

अध्याय VII: विविध रूचिकर विषय

- **लेखापरीक्षा में पैट्रोल उत्पादों के निर्धारण योग मूल्य के गलत अंकलन, सीमेन्ट पर उपकर का अनुद्ग्रहण/भुगतान न होने तथा मांग जारी न किए जाने के मामले देखे गए। इन मामलों में ₹ 50.05 करोड़ का शुल्क निहितार्थ था।**

{पैराग्राफ 7.1 से 7.3}